संख्या-203/2021/690रासनि/23-1-21-103रासनि/20

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 27 सितम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीषक-5054 के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात के स्वीकृत कार्य के संबंध में निर्गत आदेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-130सी/342सी/कानपुर नगर/भाग-2/21-22, दिनांक 29.06.21 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सं0-75/2021/01रासनि/23-1-21-103रासनि/20, दिनांक 05.03.2021 में जनपद कानपुर देहात के 'कालपी मार्ग से जसौरावीर सिंहपुर मार्ग के कि0मी0 सं0-1(287 से 1000), 2(000-850), 3(322-500), 4(175), 5(750)' के स्थान पर 'कालपी मार्ग से जसौरावीर सिंहपुर मार्ग के कि0मी0 सं0-1(287 से 1000), 2(000-850), 3(322-500), 4, 5(750)' किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शासनादेश सं0-75/2021/01रासनि/23-1-21-103रासनि/20, दिनांक 05.03.2021 के साथ संलग्न तालिका के क्रमांक-56 पर अंकित जनपद कानपुर देहात के "कालपी मार्ग से जसौरावीर सिंहपुर मार्ग के कि0मी0 सं0-1(287 से 1000), 2(000-850), 3(322-500), 4(175), 5(750)" के स्थान पर "कालपी मार्ग से जसौरावीर सिंहपुर मार्ग के कि0मी0 सं0-1(287 से 1000), 2(000-850), 3(322-500), 4, 5(750)" पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश सं0-75/2021/01रासनि/23-1-21-103रासनि/20, दिनांक 05.03.2021 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

संख्या-203/2021/690रासनि (1)/23-1-21, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in